9-10-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित राज पैरोकार उपस्थित जवाब स्टे पेश हुआ शामिल पत्रावली किया गया प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने से बहस सुनी गई बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बाद बादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। शामिल पत्रावली किया गया नियमानुसार स्टाम्प पेश होने पर डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

25-10-19 वकील वादी द्वारा आदेश दिनांक 9-10-19 की पालना में स्टाम्प ड्यूटी पेश की शामिल पत्रावली किया गया। आदेश दिनांक 9-10-19 की पालना में डिक्री जारी कर शामिल पत्रावली की गई।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

न्यायालय उपख
पीठासीन अधिकारी :-
राजस्व वाद संख्या :-
1 राजेन्द्र पुत्र श्री
2 पवन पुत्र श्री

1 प्रेम प्रकाश
हनुमानगढ़।
2 माया पुत्री
हनुमानगढ़।
3 क्षेत्रीय ग्रामी
4 राजस्थान रा

दावा अन्तर्गत

1. श्री रामकुमा
2. कुमारी सन्त
3. राज पैरोका

वादीगण द्व
तहत इस न्यायाल
प्रेमप्रकाश के नाम
संख्या 68/66 प
14, 15, 18 ता 23
9 एस.एस.डबल्यू.
1/4 हिस्सा व मु
हैक्टर मे प्रतिवादी
एस.डबल्यू. खात
2073–76, खाता
वादीगण
प्राप्त हुई है जिस
व प्रतिवादी संख्
तथा संयुक्त परि
बहन है, ने
प्रतिवादीया संख्य
68/66 की 2.5

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

(राजस्व वाद संख्या :– 282/2019 अनवान राजेन्द्र कुमार बनाम प्रेम प्रकाश)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 282/2019

1 राजेन्द्र पुत्र श्री प्रेमप्रकाश जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 पवन पुत्र श्री प्रेमप्रकाश जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 प्रेम प्रकाश पुत्र श्री नानुराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 माया पुत्री प्रेम प्रकाश पत्नी रमेश कुमार जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील हनुमानगढ़।
3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा हनुमानगढ़।
4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ
– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री रामकुमार बिश्नोई अधिवक्ता — वादीगण
2. कुमारी सन्तोष पुनियां अधिवक्ता — प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2
3. राज पैरोकार — प्रतिवादी संख्या 5

दिनांक :– 9-10-2019

–:: निर्णय ::–

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमप्रकाश के नाम से एकल खाता की कृषि भूमि वाके चक नम्बर 9 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 68/66 पत्थर नम्बर 148/308 मुरबा नम्बर 88 किला नम्बर 11/2/063, 12, 13, 14, 15, 18 ता 23 तादादी 2.593 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन व मुश्तरका खाता चक नम्बर 9 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 115/106 तादादी 3.795 हैक्टर प्रतिवादी प्रेमप्रकाश का 1/4 हिस्सा व मुश्तरका खाता चक 9 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 19/20 तादादी 12.650 हैक्टर मे प्रतिवादी प्रेमप्रकाश का 1/2 हिस्सा दर्ज खातेदारी है। नकल जमाबंदी चक 9 एस. एस.डबल्यू. खाता संख्या 68/66 सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 115/106 सम्वत 2073–76, खाता संख्या 19/20 सम्वत् 2073–76 संलग्न वाद पत्र है।

वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि अपने पिता नानुराम से विरासतन प्राप्त हुई है जिसमे हम वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का जन्म सिद्ध अधिकार है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का परिवार संयुक्त परिवार था भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की है, तथा संयुक्त परिवार विभाजित हो गया है विभाजन उपरांत प्रतिवादी संख्या 2 जो वादीगण की बहन है, ने अपना हक हिस्सा की भूमि हम वादीगण के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है। प्रतिवादीया संख्या 2 के हक त्याग करने के बाद चक नम्बर 9 एस.एस. डबल्यू खाता संख्या 68/66 की 2.593 हैक्टर मे वादी संख्या 1 राजेन्द्र कुमार को 1.075 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन, वादी संख्या 2 पवन कुमार को 1.518 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 को उसके नाम दर्ज चक नम्बर 9 एस.एस. डबल्यू खाता संख्या 115/106 तादादी 3.795 हैक्टर प्रतिवादी प्रेमप्रकाश का 1/4 हिस्सा व मुश्तरका खाता चक 9 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 19/20 तादादी 12.650 हैक्टर मे प्रतिवादी प्रेमप्रकाश का 1/2 हिस्सा भूमि

लगातार 2

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

प्राप्त हुई है। अरसा पूर्व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमियो का घरू बंटवारा किया हुआ है। घरू बंटवारा मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को निम्न भूमि प्राप्त हुई है जिस पर हम शांति पूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है :–

1. वादी संख्या 1 राजेन्द्र कुमार के कब्जा काश्त की भूमि :– चक नम्बर 9 एस.एस. डबल्यू. खाता संख्या 68/66 पत्थर नम्बर 148/308 किला नम्बर 11/2 मे 0.063, 12 ता 15 मे 1.012 हैक्टर कुल तादादी 1.075 हैक्टर
2. वादी संख्या 2 पवन कुमार के कब्जा काश्त की भूमि :– चक नम्बर 9 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 68/66 पत्थर नम्बर 148/308 किला नम्बर 18 ता 23 कुल तादादी 1.518 हैक्टर।

किला नम्बर 15 व 14 प्रत्येक मे 2–2 बिस्वा चौड़ा व किला नम्बर 13 मे 1 बिस्वा चौड़ा रास्ता पश्चिम से पूर्व किला नम्बर 18 मे प्रवेश हेतु वादी संख्या 2 पवन कुमार को आपसी सहमति से दिया हुआ है जो इसी कदर रहेगा।

प्रश्नगत कृषि भूमि अभी तक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम होने से वादीगण के हकों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा भूमि वादीगण के नाम नही होने से वादी बैंक लोन व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहा है अतः वादीगण इस अमर की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है कि चक 9 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 68/66 की 2.593 हैक्टर मे वादी संख्या 1 राजेन्द्र कुमार 1.075 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन व वादी संख्या 2 पवन कुमार 1.518 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है। चक नम्बर 9 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 68/66 मे से प्रतिवादी संख्या 1 प्रेम प्रकाश का नाम कलमजन किया जावे। चक नम्बर 9 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 115/106 तादादा 3.795 हैक्टर प्रतिवादी प्रेमप्रकाश का 1/4 हिस्सा व मुश्तरका खाता चक 9 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 19/20 तादादी 12.650 हैक्टर मे प्रतिवादी प्रेमप्रकाश का 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हक मे रहेगी जो पूर्व से ही उसके नाम दर्ज है।

खाता मुश्तरका होने के कारण वादीगण व प्रतिवादी के बीच आये दिन रकम राज व बट सीव को लेकर विवाद रहता है। इसलिए वादीगण अपनी कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन करवा कर अपना खाता अलग कायम करवाना चाहता है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 को कई दफा कहा कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णितानुसार भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित करवाकर खाता विभाजन करवा देवे पहले तो वे टालमटोल करते रहे आखिर 7 रोज पूर्व मुकाम कोहला मे स्पष्ट इन्कार हो गये।

प्रतिवादी संख्या 3 के यहां भूमि रहन होने के कारण व प्रतिवादी संख्या 4 को बतौर भू–धारक वाद मे पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार एवं पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकर डिक्री फरमाया जावे

(क) घोषणा फरमाई जावे कि चक 9 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 68/66 की 2.593 हैक्टर में वादी संख्या 1 राजेन्द्र कुमार 1.075 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन व वादी संख्या 2 पवन कुमार 1.518 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है। चक नम्बर 9 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 68/66 में से प्रतिवादी संख्या 1 प्रेम प्रकाश का नाम कलमजन किया जावे।

(ख) वाद पत्र की चरण संख्या 3 के मुताबिक वादीगण का खाता अलग अलग कायम कर रकम राज अलग अलग कायम की जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय दिलाना उचित समझे, दिलाया जावे।

(घ) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

लगातार 3

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादीगण एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 04.10.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त प्रकरण मे हम पक्षकारान के बीच पंचायत के मौजिज व्यक्तियों ने राजीनामा करवा दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमप्रकाश के नाम से एकल खाता की कृषि भूमि वाक चक नम्बर 9 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 68/66 पत्थर नम्बर 148/308 मुरब्बा नम्बर 88 किला नम्बर 11/2/.063, 12, 13, 14, 15, 18 ता 23 तादादी 2.593 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन व मुश्तरका खाता चक नम्बर 9 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 115/106 तादादी 3.795 हैक्टर प्रतिवादी प्रेमप्रकाश का 1/4 हिस्सा व मुश्तरका खाता चक 9 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 19/20 तादादी 12.650 हैक्टर में प्रतिवादी प्रेमप्रकाश का 1/2 हिस्सा दर्ज खातेदारी है। प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि अपने पिता नानुराम से विरासतन प्राप्त हुई है जिसमे हम वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का जन्म सिद्ध अधिकार है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का परिवार संयुक्त परिवार था भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की है तथा संयुक्त परिवार विभाजित हो गया है विभाजन उपरांत प्रतिवादी संख्या 2 जो वादीगण की बहन है, ने अपना हक हिस्सा की भूमि हम वादीगण के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है। प्रतिवादीया संख्या 2 के हक त्याग करने के बाद चक नम्बर 9 एस.एस.डबल्यू खाता संख्या 68/66 की 2.593 हैक्टर मे वादी संख्या 1 राजेन्द्र को 1.075 हैक्टर नहरी मय गैमुमकिन, वादी संख्या 2 पवन को 1.518 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को उसके नाम दर्ज चक नम्बर 9 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 115/106 तादादी 3.795 हैक्टर प्रतिवादी प्रेमप्रकाश का 1/4 हिस्सा व मुश्तरका खाता चक 9 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 19/20 तादादी 12.650 हैक्टर मे प्रतिवादी प्रेमप्रकाश का 1/2 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई है। अरसा पूर्व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमियो का घरू बंटवारा किया हुआ है। घरू बंटवारा मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को निम्न भूमि प्राप्त हुई है जिस पर हम शांति पूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है :–

1. वादी संख्या 1 राजेन्द्र कुमार के कब्जा काश्त की भूमि :– चक नम्बर 9 एस.एस. डबल्यू. खाता संख्या 68/66 पत्थर नम्बर 148/308 किला नम्बर 11/2 मे 0.063, 12 ता 15 मे 1.012 हैक्टर कुल तादादी 1.075 हैक्टर
2. वादी संख्या 2 पवन कुमार के कब्जा काश्त की भूमि :– चक नम्बर 9 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 68/66 पत्थर नम्बर 148/308 किला नम्बर 18 ता 23 कुल तादादी 1.518 हैक्टर।

किला नम्बर 15 व 14 प्रत्येक मे 2–2 बिस्वा चौडा व किला नम्बर 13 मे 1 बिस्वा चौडा रास्ता पश्चिम से पूर्व किला नम्बर 18 मे प्रवेश हेतु वादी संख्या 2 पवन कुमार को आपसी सहमति से दिया हुआ है जो इसी कदर रहेगा।

चक 9 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 68/66 की 2.593 हैक्टर मे वादी संख्या 1 राजेन्द्र 1.075 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन का व वादी संख्या 2 पवन 1.518 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 9 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 68/66 में से प्रतिवादी संख्या 1 प्रेम प्रकाश का नाम कलमजन किया जावे तो हम पक्षकारान को

लगातार 4

सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

कोई आपति नही है। चक नम्बर 9 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 115/106 तादादी 3.795 हैक्टर प्रतिवादी प्रेमप्रकाश का 1/4 हिस्सा व मुश्तरका खाता चक 9 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 19/20 तादादी 12.650 हैक्टर मे प्रतिवादी प्रेमप्रकाश का 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हक मे रहेगी जो पूर्व से ही उसके नाम दर्ज है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा तरदीक फरमाया जाकर मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री फरमाया जावे तो हम पक्षकारान पूर्णतया सहमत है।

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपना जबाबदावा प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि प्रतिवादीया नें अपना हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग किया हुआ है। प्रतिवादीया इस भूमि में से कोई हक हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती है। मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्रो किया जाता है, तो मुझ प्रतिवादीया को कोई आपत्ति एतराज नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 4 की और से राज पैराकार द्वारा जबाब स्टेट प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वादी वाद पत्र डिक्री किया जाता है, तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से साक्ष्य वादी लिये जाकर बहस सुनी गई।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण द्वारा दौरानें बहस राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादाधीन भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार होनें के कारण वादी जो कि प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र होनें के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

लगातार 5

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाद में वर्णित भूमि चक 9 एस.एस.डबल्यू. खाता संख्या 68/66 पत्थर नम्बर 148/308 मुरबा नम्बर 88 किला नम्बर 11/2/063, 12, 13, 14, 15, 18 ता 23 तादादी 2.593 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन में वर्तमान प्रविष्टि **"प्रेमप्रकाश वल्द नानुराम जाति जाट साकिन चक कोहला"** को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर **"वादी संख्या 1 राजेन्द्र पुत्र प्रेमप्रकाश जाति जाट निवासी कोहला को 1.075 हैक्टर व वादी संख्या 2 पवन पुत्र प्रेमप्रकाश जाति जाट निवासी कोहला को 1.518 हैक्टर"** का खातेदार कातकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत उनकी खातेदारी भूमि का निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1. वादी संख्या 1 राजेन्द्र पुत्र प्रेमप्रकाश जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
9 एस.एस.डबल्यू.	68/66	148/308	11/2 में 0.063, 12 ता 15 सालम	1.075 हैक्टर

2. वादी संख्या 2 पवन पुत्र प्रेमप्रकाश जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
9 एस.एस.डबल्यू.	68/66	148/308	18 ता 23 सालम	1.518 हैक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 9-10-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 282/2019

1 राजेन्द्र पुत्र श्री प्रेमप्रकाश जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 पवन पुत्र श्री प्रेमप्रकाश जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 प्रेम प्रकाश पुत्र श्री नानुराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 माया पुत्री प्रेम प्रकाश पत्नी रमेश कुमार जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील हनुमानगढ़।
3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा हनुमानगढ़।
4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ
– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन
निर्णय दिनांक :– 9-10-2019

वादीगण की और से श्री रामकुमार बिश्नोई अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और कुमारी सन्तोष पुनियां अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 4 की और से राज पैरोकार इस वाद में आज दिनांक 25-10-2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाद में वर्णित भूमि चक 9 एस.एस.डब्ल्यू. खाता संख्या 68/66 पत्थर नम्बर 148/308 मुरबा नम्बर 88 किला नम्बर 11/2/063, 12, 13, 14, 15, 18 ता 23 तादादी 2.593 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन में वर्तमान प्रविष्टि **"प्रेमप्रकाश वल्द नानुराम जाति जाट साकिन चक कोहला"** को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर **"वादी संख्या 1 राजेन्द्र पुत्र प्रेमप्रकाश जाति जाट निवासी कोहला को 1.075 हैक्टर व वादी संख्या 2 पवन पुत्र प्रेमप्रकाश जाति जाट निवासी कोहला को 1.518 हैक्टर"** का खातेदार कातकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत उनकी खातेदारी भूमि का निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

4. वादी संख्या 1 राजेन्द्र पुत्र प्रेमप्रकाश जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
9 एस.एस.डब्ल्यू.	68/66	148/308	11/2 में 0.063, 12 ता 15 सालम	1.075 हैक्टर

5. वादी संख्या 2 पवन पुत्र प्रेमप्रकाश जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
9 एस.एस.डब्ल्यू.	68/66	148/308	18 ता 23 सालम	1.518 हैक्टर

सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी

लगातार 2

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 25-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
..... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –	आदेशिका की तामिल	– –
कमिश्नर की फीस	– –	कमिश्नर की फीस	– –
आदेशिका की तामिल	– –		
योग	– –	योग	– –

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.28 16:26:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: